

आधुनिक समाज में कौटिल्य के राजनीतिक विचार

शोधार्थी -ममता कुमारी,

इतिहास विभाग, रांची विश्वविद्यालय, रांची

आज, सूक्ष्म इतिहास लेखन के अंतर्गत मुख्य पात्र, घटना, व्यक्ति को केंद्र में रखकर उसकी ऐतिहासिकता दर्शाने का प्रयास किया जा रहा है। किसी क्षेत्र के विकास तथा क्षेत्र में व्यक्तियों के विकास में राजनीतिक क्षेत्र का महत्व बढ़ जाता है। जिसमें राजनीति के जानकारों तथा विद्वानों के विचार महत्वपूर्ण हो जाता है। इन्हीं क्रमों में प्राचीन भारत के महान प्रतिभावान व्यक्ति जिनको भारत में अर्थशास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है। विष्णुगुप्त, जिन्हें चाणक्य और कौटिल्य नाम उनके वंश तथा उनकी कुटिल नीति तथा शासनकला के विशेष ज्ञान के कारण दिया गया था। उनके विचारों का अध्ययन आवश्यक हो जाता है। जिन्होंने विभिन्न विषयों का समावेश कर एक रचना की जिसे 'अर्थशास्त्र' कहा जाता है। जिसमें समसामयिक राजनीति, अर्थनीति, राज्य शासनकला, नैतिकता, निरपेक्ष, यथार्थवाद, विधि, सामाजिकनीति एवं धर्म आदि पर प्रकाश डाला है। इन सभी विषयों में राजनीति विचार के अंतर्गत राज्य के उत्पत्ति संबंधी विचार, राज्य का स्वरूप संबंधी विचार, राजा संबंधी विचार, सप्तांग सिद्धांत, मंत्री, मंत्रीपरिषद, प्रशासनिक तंत्र, कर व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, परराष्ट्रनीति, मण्डल सिद्धांत, इत्यादि हैं। इसके अध्ययन के दौरान विभिन्न दृष्टिकोण की तुलना वर्तमान से की जाएगी। क्या वर्तमान में इनके विचारों को राष्ट्रीय हित तथा मनुष्य के हित के लिए लागू किया जा सकता है। इस प्रकार प्रस्तुत शोध आलेख में इन राजनीतिक विचारों का वर्तमान परिदृश्य में प्रासंगिकता को दर्शाने का प्रयास किया जाएगा।

शब्द कुंजी :- राजा, राज्य शासनकाला, दृष्टिकोण, अर्थशास्त्र, प्रशासन इत्यादि

प्रस्तावना:-

कौटिल्य, प्राचीन भारतीय इतिहास के विद्वानों में प्रमुख हैं। किसी व्यक्ति या क्षेत्र का विकास उसके सर्वांगीण विकास से संभव होता है। जिसमें उस राज्य या देश के विकास में उसकी राजनीतिक क्षेत्र का महत्व बढ़ जाता है। कौटिल्य ने राजनीतिक क्षेत्र में अपने विचारों को उल्लेखित किया है, जिसमें राज्य के लिए सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। जिसमें राजा (स्वामी), अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, मित्र, सब के विशेषताओं, गुणों तथा दोषों का वर्णन अपने पुस्तक अर्थशास्त्र में किया है। इसके साथ ही राजा, मंत्री- परिषद के कर्तव्य का भी वर्णन किया है। साथ ही किसी देश का दूसरे देश/ राज्य के साथ संबंधों का विस्तार से बताया गया है। जिसमें कौटिल्य का मंडल सिद्धांत तथा षाड्गुण सिद्धांत विदेश नीति के रूप में जाना जाता है। कौटिल्य

के अनुसार “यथा राजा तथा प्रजा” अर्थात् जैसा राजा तथा उसका व्यवहार रहेगा वैसा ही प्रजा का आचरण भी होगा।

उद्देश्य:-

प्रस्तुत शोध पत्र का उद्देश्य कौटिल्य के राजनीतिक विचार की वर्तमान संदर्भ में महत्व को परिलक्षित करना है। कौटिल्य राज्य को सर्वोपरि रखते थे। जिसके रक्षा की जिम्मेदारी शासक को देते थे। जनता की सुरक्षा भी राजा की जिम्मेदारी थी। इन सभी जिम्मेदारियों को शासक पूरा कर सके उसके लिए कौटिल्य ने अर्थशास्त्र ग्रंथ की रचना की थी। जिसमें उनके राजनीतिक विचार भी निहित हैं। उन्हीं विचारों का वर्तमान में क्या महत्व है तथा वह आज उपयोगी हो सकता है अथवा नहीं? यह सारे प्रश्नों की पूर्ति प्रस्तुत आलेख से होगी।

शोध विधि:-

प्रस्तुत शोध आलेख “कौटिल्य के राजनीतिक विचारों की वर्तमान परिदृश्य में प्रासंगिकता” के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ऐतिहासिक विधि का उपयोग करते हुए, ‘कौटिल्य का अर्थशास्त्र’ विभिन्न इतिहासकारों द्वारा अनुवादित का अध्ययन किया गया तथा विभिन्न राजनीतिक विचार या चिंतन के पुस्तकों के अंतर्गत कौटिल्य के राजनीतिक विचार का अध्ययन कर तथ्यों को संकलित कर वर्तमान प्रदेश में महत्व को देखने का प्रयास किया गया है।

कौटिल्य के राजनीतिक विचार:-

कौटिल्य साधारण ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे। उनके जन्म तथा वंश को लेकर विद्वानों का अलग-अलग मत है। जन्म का समय 350-275 ई०पू० माना जाता है। इनके माता चणेश्वरी तथा पिता चणक थे। प्राचीन जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्व के अनुसार गोल्य नाम के जनपद में इनका जन्म हुआ था। कुछ विद्वानों के अनुसार केरल के निषाद कुतुल्लूर नामपुत्री वंश का वंशज मानते हैं। इनके बचपन का नाम विष्णु गुप्ता था। कौटिल्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में अध्ययन पूरा किया तथा वहीं राजनीतिक विज्ञान के व्याख्याता के रूप में कार्यरत थे। चाणक्य नाम इनके पिता से वंशानुगत मिला परंतु, कौटिल्य इनकी बुद्धि की कुटिलता तथा शासनकला में विशेष ज्ञान के कारण पड़ा था। परंतु आचार्य दीपांकर का मत है कि विष्णुगुप्त कौटिल्य अनाज का कुटला भरकर संपूर्ण वर्ष व्यतीत करते थे और इस सादा जीवन के कारण ही उनका एक नाम कौटिल्य पड़ा।¹

कौटिल्य के प्रमुख रचना अर्थशास्त्र हैं। जिसमें समसामयिक राजनीति, अर्थनीति, राज्य शासनकला, नैतिकता, निरपेक्ष, यथार्थवाद, विधि, समाज नीति एवं धर्म आदि पर विशेष प्रकाश डाला है। यह पुस्तक विभिन्न विषयों का समावेश है। कौटिल्य की तुलना में मैकियावेली से की जाती है जो कि पाश्चात्य मध्यकालीन राजनीतिक विचारक थे जबकि, कौटिल्य प्राचीन कालीन विचारक थे। जो की पूरी तरह से गलत नजर आता है। इसका कारण हो सकता है कि कौटिल्य की रचना अर्थशास्त्र लुप्त हो गई थी। जो की 1904 ईस्वी में एक पंडित को मिला। जिसे अपूर्ण भाष्य के साथ अर्थशास्त्र का हस्तलेख मैसूर राज्य पुस्तकालय के अध्यक्ष शाम शास्त्री जी को दिया। जिसने इसे प्रकाशित करवाया तथा फिर इसके अनुवाद भी किए गए। इसका प्रमाणिक प्रकाशित

संस्करण 1929 ई० को माना जाता हैं। यह ग्रंथ चंद्रगुप्त के प्रशासकीय उपयोग के लिए रचना की गई थी।
कौटिल्य स्वयं कहते हैं कि

सर्वशास्त्राण्यनुक्रम्य प्रयोगमुपलभ्य च।

कौटिल्येन नरेन्द्राये शासनस्य विधिः कृत ॥2

अर्थात् सभी नीतिशास्त्रों का अनुशीलन करके तथा सिद्धांतों को व्यवहार की कसौटी पर कसकर कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए यह शासन विधान तैयार किया हैं। विद्वानों का इस पुस्तक से अस्तित्व पर भी संदेह प्रकट किया कि यह कौटिल्य की रचना नहीं हैं परंतु, शाम शास्त्री, गणपति शास्त्री, काशी प्रसाद, जायसवाल आदि ने सप्रमाण खंडित किया तथा यह सिद्ध किया कि यह रचना चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ही लिखी गई हैं।³

‘पृथिव्याः लाभपालनोपायशास्त्रमर्थशास्त्रम्’⁴

अर्थात् अर्थशास्त्र का सीधा संबंध जीवन से हैं। कौटिल्य का संपूर्ण विचार मनुष्य के लिए बहुत ही लाभप्रद हो सकते हैं। जैसे- “काम, क्रोध, मान, मद तथा हर्ष को त्याग कर इंद्रियों पर विजय प्राप्त की जाए। इसी से विद्या तथा विनय उपलब्ध होता हैं।”⁵ यह विचार विद्यार्थियों के लिए तो परम ज्ञान जैसा हैं। इन सभी विचारों में राजनीतिक विचारों के अंतर्गत कौटिल्य ने राज्य के साथ अंग बताए हैं। जिससे राज्य या देश का विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता हैं। जैसा कि पहले ही वर्णन किया जा गया था कि, कौटिल्य का विचार चंद्रगुप्त के शासन हेतु था परंतु, आज के दौर में भी इसकी प्रासंगिकता हैं और कुछ के रूप बदलकर वर्तमान में उपयोग कर सकते हैं। राज्य या देश के लिए प्रकृतियों के सात रूप बताये हैं। जिसमें स्वामी के गुण “महाकूलीन, दैवबुद्धि, धैर्यसंपन्न, दूरदर्शी, धार्मिक, सत्यवादी, सत्यप्रतिज्ञा, कृतज्ञ, उच्चभिलाषी, बड़ा उत्साही, शीघ्र कार्य करने वाला, सामंतों को वश में करने वाला, दृढ़बुद्धि, गुण संपन्न परिवार वाला, शास्त्रबुद्धि, शास्त्रचार्य, शास्त्रज्ञान, प्रत्येक बात को ग्रहण करने वाला, इत्यादि।”⁶ ऐसे कई गुणों का वर्णन कौटिल्य करते हैं जो कि राजा या शासक में होना चाहिए। अगर इस राजा की तुलना वर्तमान में राजनेताओं से किया जाए या शासक वर्ग से की जाएगी तो कोई भी गुण शायद प्राप्त न हो। जनता के प्रतिनिधि करने वालों के लिए यह गुण जरूरी होता हैं।

कौटिल्य के अनुसार राजा स्वामी होते हुए भी जनता का सच्चा सेवक होता हैं और एक सेवक के रूप में सैनिक के समान वेतन भोगी व्यक्ति होता हैं। राजा प्रजा को पुत्रवत् पालन पोषण करता हैं।⁷ यह गुण राजनेताओं के लिए बहुत जरूरी है जो कि पहले के नेता में थे और आज भी होने चाहिए।

प्रजासुखे सुखं राज्ञः प्रजानां च हितेश हितम्।

नात्मप्रियं हितं राज्ञः प्रजानां तु प्रियं हितम्॥8

कौटिल्य ने प्रजा के सुख में राजा अर्थात् देश के प्रधानमंत्री या मंत्रियों का सुख मानते हैं तथा जनता के हित के लिए कार्य किए जाने चाहिए। राजा या नेता को वह कार्य करने चाहिए जिससे जनता का भला हो, जनता को अच्छा लगे, ना के प्रधानमंत्री या मंत्रियों को। इस कथन को परिवार के संदर्भ में देखें तो परिवार के मुखिया को वह कार्य करने चाहिए, जिसमें परिवार के लोगों की भलाई हो, खुशी हो, तभी घर तरक्की करेगी और घर में शांति

रहेगी। कौटिल्य के विचार अनुसार राजा का अपना कोई हित या सुख नहीं होना चाहिए। जो भी हो वह सब जनता के लिए होना चाहिए तथा जनता के लिए होना चाहिए।

राजा के बाद कौटिल्य के अनुसार अमात्य राज्य के प्रमुख होते हैं। “अमात्य की नियुक्ति उसके शक्ति के अनुसार, उसके बुद्धि आदि गुण, देश, काल तथा कार्यों को अच्छी तरह विवेचन करके अमात्य पद पर नियुक्त करें।”⁹ अगर इसे हम वर्तमान में देखें तो प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री तथा मंत्री की नियुक्ति करते समय इन सलाहों को जरूर महत्व देना चाहिए। साथ ही साथ मंत्रीपरिषद राज्य के कार्यों एवं नीतियों में बुद्धिमान, चरित्रवान और अनुभवी व्यक्तियों की सहभागिता हो।¹⁰ क्षेत्र में विकास के लिए आज के राजनेताओं का व्यवहार बहुत महत्व रखता है। राजा और अमात्य के बाद जनपद महत्वपूर्ण स्थान है।

बालद्रव्यं ग्रामवृद्धा वर्धयेयुराव्यवहार प्रापणात्; देव द्रव्यं च।¹¹

यह विचार वर्तमान में लागू हैं। जब किसी नाबालिक बच्चों के माता-पिता का देहांत हो जाता है। तो उनकी संपत्ति को बच्चों के करीबी को अभिभावक के रूप में देखभाल के लिए कोर्ट आदेश देता है तथा, बालिक होने पर वापस कर दिया जाता है। साथ में कौटिल्य के अनुसार जो व्यक्ति समर्थ होते हुए भी अपने परिवार का देखभाल नहीं करता उसे दंड देने की बात कही है। जो आज के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि, बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो समर्थ होते हुए भी माता-पिता को वृद्ध आश्रम में भेजते हैं, या वैसे माता-पिता जो धन के लालच में बच्चों के भविष्य से खेलते हैं। कौटिल्य के अनुसार दंड के भागी हैं। दुर्ग और जनपद, कौटिल्य के विचार वर्तमान में कम महत्व रखते हैं। जनपद के लिए चाणक्य कथनानुसार, वैसी जगह जहां के लोग अच्छे हो, सभी सुविधाएं जनता को आसानी से प्राप्त हो सके, व्यापार, कृषि आदि की व्यवस्था हो। यह सभी गुण हर व्यक्ति किसी स्थान पर बसने से पहले देखता और सोचता है तथा जहां उसे सुविधा महसूस होती है, वहीं पर वह बसना पसंद करता है। दुर्ग के विचार के अंतर्गत उस काल में राजा का दुर्ग सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षित स्थान होता था क्योंकि, राजा के किले पर अधिकार करने की कोशिश हमेशा की जाती थी। इसलिए शासक ऐसे अभेद्य किले का निर्माण करते थे। ताकि दुश्मन पर वह आसानी से हावी हो सके तथा दुश्मन कभी किला जीत ना सके।

नागरिक कार्य के अंतर्गत कौटिल्य का विचार वर्तमान के लिए आवश्यक हो जाता है। “कोई व्यक्ति निषिद्ध समय में पांच घड़ी तक आग जलाने और जो गर्मी के मौसम में अपने घर के सामने पानी से भरे घड़े, पानी से भारी नाद, सीढ़ी, कुल्हाड़ा, सूप, छाज कौचा, फुस आदि वस्तुओं का इंतजाम न करने वालों को दंड दिया जाना चाहिए।”¹² इन वस्तुओं की वर्तमान समय में आवश्यकता नहीं है परंतु, पानी बहुत जरूरी है। जिसे हम लोग अपने घरों के सामने लोगों के भलाई हेतु रख सकते हैं। इसी प्रकार नगर के लोगों के लिए कर्तव्य के तहत कूड़ा-करकट को सड़क पर डालने से भी मना किया है। कौटिल्य के लिए यह सुनने को आता है कि उन्होंने नारियों को उचित स्थान नहीं दिया परंतु उनके सुरक्षा में कोई कमी नहीं रखी थी। उन्होंने वेश्याओं के साथ भी दुर्यवहार करने वालों को दंड देने का विचार दिया है। कन्याओं के लिए “जो व्यक्ति राजोधर्म रहित कन्या को दूषित करता है तो उसके हाथ कटवा दिए जाएं। यदि वह बलात्कार के कारण मर जाए तो अपराधी को प्राण दंड दिया जाए।”¹³ यह नियम तो वर्तमान में लागू करने की परम आवश्यक होती नजर आती है क्योंकि, छोटी बच्चियों के साथ यह

बुरी घटनाएं बहुत ज्यादा सुनने में आती हैं जबकि बहुत सारे केस तो होते ही नहीं हैं। दुर्गा निर्माण में कौटिल्य ने जिन विचारों का वर्णन किया है। उसके लिए प्रकृति ने भारत को इन सबसे पहले ही आशीर्वाद दे दिया है। जैसे दुर्ग के चारों ओर पानी से घिरा स्थल, पर्वत से घिरा इत्यादि।

“धन की उत्पत्ति के मुख्य स्थान जनपद के बीच में बड़े-बड़े नगरों को बसाने को कहा गया है।”¹⁴ कौटिल्य राजा को कहते हैं कि “वह शत्रुओं, जंगली लोगों, व्याधियों एवं दुर्भिक्षों से अपने देश को बचाए तथा राजा को चाहिए कि दंड, विष्टी (बेगार), कर (टैक्स) आदि की बाधा से कृषि की रक्षा करें।”¹⁵ इन विचारों की तो वर्तमान में अत्यंत आवश्यक हैं। जिसमें देश की रक्षा करना सबसे अधिक जरूरी हो जाता है। साथ ही देश के गरीब किसानों का कृषि ऋण माफ करना इसी का एक रूप है। बहुत ऐसे किसान होते हैं जो कृषि ऋण को फसल नष्ट हो जाने या अन्य आपदाओं के कारण न चुका पाने की स्थिति में आत्महत्या कर लेते हैं।

कोष पूर्वा सर्वा रम्भाः। तस्मात् पूर्व कोषमवे क्षेत्।¹⁶

किसी देश या घर के कार्य धन या कोस पर निर्भर होता है। अतः शासक को सबसे पहले अपने कोष पर ध्यान देना आवश्यक हो जाता है। जिसके लिए धन को इकट्ठा करने संजोने तक का वर्णन किया है। धन के क्षय का आठ कारण बताए हैं - प्रतिबंध, प्रयोग, व्यवहार, अवस्तार, परिहायण, उपभोग, परिवर्तन और अपहार। यह सभी खर्च व्यर्थ हैं। जो अधिकारियों के कारण होता है। ऐसे खर्च हमारे देश के मंत्रियों तथा सरकारी अधिकारियों के द्वारा भी दिखाकर देश को नुकसान किया जाता है। कौटिल्य के अनुसार “आमदनी के स्तर पर अवश्य ध्यान रखा जाना चाहिए। ऐसा कोई कार्य नहीं होना चाहिए, जिससे धर्म और अर्थ को व्यर्थ में क्षती हो।”¹⁷ राज्य के कोष को बढ़ाने के लिए कौटिल्य ने कर वसूली के तीन प्रकार बताए हैं - ब्राह्म्य, आभ्यन्तर, अतिथ्य, इसके भी दो प्रकार निष्क्राम्य और प्रवेश्य। ये विचार वर्तमान में भी लागू हैं कह सकते हैं, जिसे जीएसटी के रूप में हम जानते हैं। अलग-अलग वस्तुओं पर प्रतिशत के अनुसार कर सरकार द्वारा लगाए गए हैं। इन सबके अलावा सरकार द्वारा अलग-अलग विभाग बनाए गए हैं। जिसके मंत्रियों को उनके देख-रेख की जिम्मेदारी दी जाती है। कौटिल्य वन जीवन के बारे में भी विचार रखते थे। जिसके तहत कुछ वन्यजीवों पर शिकार पर प्रतिबंध था। जिसके लिए अपराधी को दंड भी निर्धारित था।¹⁸ राजा, राज्य के कोष का व्यवहार अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति के लिए नहीं अपितु जनता की सुख सुविधा के लिए करनी चाहिए।¹⁹ चाणक्य के अनुसार अधिकारियों या मंत्रियों का समय-समय पर निगरानी करती रहनी चाहिए। मानव मन हमेशा एक समान नहीं रहता है। पद और धन मनुष्य को बदल देता है। इसलिए अधिकारियों की परीक्षा ली जानी चाहिए। “जो अध्यक्ष या अधिकारी राज्य धन का अपहरण नहीं करते वरन् न्यायपरायण होकर राजा की समृद्धि में यत्नशील रहते हैं और प्रिय समझ कर राजा का हित करते हैं। ऐसे सच्चरित्र अध्यक्षों को सदा सम्मान पूर्वक उच्च पद पर बनाए रखना चाहिए।”²⁰ परंतु यदि अधिकारी भ्रष्ट होते नजर आए तो उन्हें दंड देना चाहिए। राजकोष में पूर्वजों तथा अपने धर्म की कमाई संचित करने को कहा है तथा आपातकालीन स्थिति में उससे जानता की मदद करनी चाहिए।

दण्ड का तात्पर्य कौटिल्य का मुख्यतः सेना से है। कौटिल्य के अनुसार दण्ड अर्थात् सेना “ऐसी होनी चाहिए, जिसमें वंशानुगत, स्थाई एवं वश में रहने वाले सैनिक भर्ती हो, जिनके परिवार संतुष्ट हो। युद्ध के समय

जिनको आवश्यक सामग्री से लैस हो, जो कहीं भी हार ना खाता हो, दुख को सहने वाला हो, युद्ध कौशलों से परिचित हो, हर समय हर तरह के युद्ध में निपुण हो, राजा के लाभ और हानि का हिस्सेदार हो।²¹ तत्कालीन परिस्थिति में भारत के सेना वंशानुगत ना होकर, उनके बुद्धि, बल, विवेक के आधार पर चुने जाते हैं। फिर उन्हें सारी युद्ध कौशलों की प्रशिक्षण देकर प्रशिक्षित किए जाते हैं। जैसा पहले था वैसा आज भी है बस विधियां बदल गई हैं। राज्य की सुरक्षा और उसके विश्वास के लिए गुप्तचरों के महत्व को स्वीकारते हुए, उनका सब प्रकार से कुशल होना आवश्यक माना गया है। कौटिल्य के अनुसार उस व्यक्ति को चर के रूप में नियुक्त करना चाहिए, जो देशभक्त, विश्वासपात्र, परिस्थितियों के अनुसार वेशभूषा बदलने में निपुण तथा विभिन्न कलाओं एवं भाषाओं का ज्ञाता हो।²² वर्तमान में हमारे देश के गुप्तचर विभाग द्वारा इन्हीं सभी योग्यताओं का होना जरूरी होता है।

कौटिल्य दण्डनीति को सारी विधाओं के मूल में मानते हैं। वह दण्ड नीति को अपने में साध्य तो नहीं मानते लेकिन, इसे आधार मानते हैं।²³ दण्ड को लेकर पुरातन आचार्य का मत है कि दण्ड से सभी प्राणियों को सहज ही वश में किया जा सकता है। किंतु कौटिल्य के अनुसार “कठोर दंड देने वाला राजा से सभी प्राणी उद्विग्न हो उठते हैं किंतु दण्ड में ढिलाई कर देने से भी लोग राजा की अवहेलना करने लगते हैं। इसलिए राजा को समुचित दण्ड देने वाला होना चाहिए।²⁴ अर्थात् इस दण्ड नीति को वर्तमान संदर्भ में देखें तो ट्रैफिक रूल बदले गए। जिससे यातायात में सुविधा हो तथा लोगों की सुरक्षा हो। परंतु भ्रष्टाचार कि वजह से सही तरह से लागू नहीं होने के कारण आज भी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। सुरक्षा के नजर में इस दण्ड नीति का बहुत अहम स्थान होता है। जैसे - बच्चियों या महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुत सारे प्रयास किया जा रहे हैं परंतु आज भी ऐसी घटनाएं लगातार घटित हो रही हैं। जिससे लोगों की नजरे झुक जाती हैं। इसका सबसे बड़ा कारण दंड भी हैं। अपराधियों को गलत करने से डरना चाहिए। जो कठोर दण्ड कानून से हो सकता है। कौटिल्य का दण्ड को लेकर यह विचार भी है की “भली-भांति सोच समझकर प्रयुक्त दंड प्रजा को धर्म, अर्थ और काम में प्रवृत्त करता है। काम-क्रोध के वशीभूत होकर अज्ञानतापूर्वक अनुचित रीति से प्रयुक्त किया हुआ दण्ड, वानप्रस्थ और परिवार्जक जैसे निःस्पृह व्यक्तियों को भी कुपित कर देता है।”²⁵ इसको ऐसे कहने का तात्पर्य है कि कभी-कभी निर्दोष को भी फंसाया जाता है और उसे दंड भी हो जाती है। इसलिए हमारे कानून में यह कथन है कि ‘सौ दोषी छूट जाए पर एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए’ जो कौटिल्य के विचारों में समानता रखता है।

कौटिल्य के अनुसार दोस्त ऐसे होने चाहिए, जो परिवार के समान ही हो, जो स्थिर स्वभाव के हो, वश में रहते हो तथा आसानी से ही लड़ाई के लिए भारी तैयारी कर सकते हो।²⁶ यह विचार देश तथा प्रत्येक मनुष्य के लिए लागू किया जा सकता है क्योंकि मुसीबत में भी साथ दे वही असली मित्र हैं। जैसे- पाकिस्तान के साथ युद्ध के समय रूस ने भारत का साथ दिया था। साथ ही मित्र ऐसा होना चाहिए, जिससे विरोध की संभावना न हो, समय आने पर वह हमेशा हमारा साथ दे। शत्रु के लिए भी कौटिल्य के विचार अनोखे हैं “शुद्ध राजवंश का ना हो, लोभी, दुष्ट, आरोग्य, व्यसनी, भाग्यवादी, शास्त्र प्रतिकूल आचरण करने वाला, बिना विचारे काम करने वाला हो।”²⁷ कौटिल्य के विचार मित्र और शत्रु के आज भी वैसे ही हैं जैसा होना चाहिए।

चाणक्य के सबसे ज्यादा जनप्रिय कथन किसी कार्य को करने के चार उपाय साम, दाम, दंड और भेद माना जाता है परंतु, “चार उपाय साम, दान, दंड और भेद हैं।”²⁸ साम पांच प्रकार के गुणसंकीर्तन, सम्बन्धोपाख्यान, परस्पर उपकारसंदर्शन, आयतिप्रदर्शन और आत्मोपनिधान हैं। धन से किसी का उपकार करना दान या उपप्रदान होता है। शत्रु के मन में शंका उत्पन्न करना भेद है तथा शत्रु को मार देना, पीड़ा देना या धन को छीन लेना दंड है।

पड़ोसी राज्यों या देश के साथ संबंध के सिद्धांत षाड्गुण्य के लिए आचार्य कौटिल्य का मत है कि “गुण तो छः ही हैं, संधि और विग्रह से बाकी चार गुण सर्वथा भिन्न हैं। दो राजाओं का कुछ शर्तों के साथ मेल संधि, शत्रु का कोई अपकार करना विग्रह, उपेक्षा करना आसान, चढ़ाई करना यान, आत्मसमर्पण करना संश्रय और संधि विग्रह दोनों से काम लेना द्वैधिभाव है। इस तरह सात प्रकृतियां और बारह राजमंडल के छः गुण आधार हैं। जो हैं - संधि, विग्रह, यान, आसन, संश्रय, द्वैधिभाव।”²⁹ कौटिल्य के षाड्गुण्य सिद्धांत तथा मंडल सिद्धांत दोनों को विदेश नीति भी कह सकते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत कौटिल्य द्वारा दिए गए हैं। जिनका उपयोग भारत अक्सर करता है। वर्तमान में भी इस नीति का उपयोग किया जा रहा है - यूक्रेन तथा रूस के बीच युद्ध में भारत का कोई हस्तक्षेप नहीं है। इस नीति का ही एक भाग हो सकता है। कौटिल्य ने इन नीतियों को पड़ोसी राज्यों के लिए प्रतिपादित किया था परंतु यह नीति आज के लिए भी उपयोगी है इन नीतियों का व्यक्तिगत जीवन में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हमें हमारे पड़ोसियों, आसपास के लोगों के साथ कैसा व्यवहार रखना चाहिए।

निष्कर्ष:- कौटिल्य के राजनीतिक विचारों के अध्ययन के दौरान हम देखते हैं कि कौटिल्य के विचार आज भी प्रासंगिकता रखते हैं। कौटिल्य के विदेश नीति भी बहुत ही ज्यादा महत्व रखते हैं। राजनीतिक विचार के अंतर्गत राजा का प्रजा के प्रति ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक हो जाता है और तत्कालीन समय में प्रधानमंत्री के द्वारा जनता का इसी प्रकार खयाल रखा जाता है। अमात्य के तुलना हमारे वर्तमान समय में मंत्रियों और अधिकारियों से कर सकते हैं। जिनको गुणों और आचरणों के आधार पर अधिकारी चुना जाता है। देश या राज्य के विकास में धन के भी बहुत आवश्यकता होती है। जिसके लिए सरकार को धन अर्जित करने की आवश्यकता होती है। जिसके तहत कर लगाया जाता है तथा उसी कर का उपयोग जनता के भलाई के लिए फिर किया जाता है। दंड के अंतर्गत सेना तथा अपराधियों को दंड दोनों को देखते हुए निष्कर्ष निकलता है कि दोनों ही आवश्यक हो जाते हैं। सेना हमारे देश के लिए सुरक्षा का काम करते हैं और पुलिस अधिकारी हमारे दोषियों को पकड़ते हैं। कौटिल्य के राजनीतिक विचारों का पूरे अध्ययन के दौरान यह ज्ञात होता है कि कौटिल्य के विचार आज भी कायम हैं और प्रासंगिकता रखते हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची:-

- आचार्य दीपांकर, कौटिल्य कालीन भारत, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, लखनऊ, 2003, पृष्ठ संख्या 92.
वही, पृष्ठ संख्या 86.
ब्रजकिशोर झा, प्रमुख राजनीतिक चिंतक (प्रथम खंड), बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी, पटना, 1990, पृष्ठ संख्या 378.
रामनरेश त्रिपाठी, प्राचीन भारतीय आर्थिक विचार, वोहरा पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, इलाहाबाद, 1981, पृष्ठ संख्या 248.
श्रीयुत प्राणनाथ विद्या अलंकार, कौटिल्य अर्थशास्त्र, पंजाब संस्कृत पुस्तकालय, लाहौर, 1923, पृष्ठ संख्या 6.
वही पृष्ठ संख्या 236.
ब्रजकिशोर झा, प्रमुख राजनीतिक चिंतक (प्रथम खंड), बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी, पटना, 2015. पृष्ठ संख्या 400.
वाचस्पति गैरोला, कौटिल्य अर्थशास्त्रम्, चौखम्बा विद्या भवन, वाराणसी, 2017 पृष्ठ संख्या 64.
विद्या भास्कर वेदरत्न उदयवीर शास्त्री, कौटिल्य अर्थशास्त्र, अमृत प्रेस, लाहौर, 1925, पृष्ठ संख्या 23.
के० एल० कमल, भारतीय राजनीतिक चिंतन, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, जयपुर 1997, पृष्ठ संख्या 63.
वाचस्पति गैरोला, पूर्वोद्धृत, पृष्ठ संख्या 70.
वही, पृष्ठ संख्या 247.
श्रीयुत प्राणनाथ विद्या अलंकार, पृष्ठ संख्या 211.
विद्याभास्कर वेदरत्न उदयवीर शास्त्री, पृष्ठ संख्या 100.
वाचस्पति गैरोला, पूर्वोद्धृत, प्रश्न संख्या 71.
वही, पृष्ठ संख्या 109.
रामनरेश त्रिपाठी पूर्वोद्धृत पृष्ठ संख्या 259.
वाचस्पति गैरोला, पूर्वोद्धृत, पृष्ठ संख्या 205.
ब्रजकिशोर झा, पूर्वोद्धृत, पृष्ठ संख्या 400.
विद्याभास्कर वेदरत्न उदयवीर शास्त्री, पूर्वोद्धृत, पृष्ठ संख्या 146.
वाचस्पति गैरोला, पूर्वोद्धृत, पृष्ठ संख्या 443
कमलेश अग्रवाल, कौटिल्य अर्थशास्त्र एवं शुक्र नीति की राज्य व्यवस्थाएं, राधा पब्लिकेशंस, नई दिल्ली, पृष्ठ संख्या 158.
के० एल० कमल, पूर्वोद्धृत, पृष्ठ संख्या 56.
वाचस्पति गैरोला, पूर्वोद्धृत, पृष्ठ संख्या 13.
वही, पृष्ठ संख्या 13.
श्रीयुत प्राणनाथ विद्या अलंकार, पूर्वोद्धृत, पृष्ठ संख्या 238 .
वाचस्पति गैरोला, पूर्वोद्धृत, पृष्ठ संख्या 443.
वही, पृष्ठ संख्या 123.
कमलेश अग्रवाल, पूर्वोद्धृत पृष्ठ संख्या 243.